



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/143

--:आदेश:-

दिनांक 15-04-2025

प्रार्थीया के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड प्रति, मतदाता पहचान पत्र प्रति, भामाशाह कार्ड प्रति व शपथ पत्र की प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नाना तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में खाता संख्या 802, 801, 800 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नाना	800, 801, 802	सुखीकुंवर पुत्री सरदारसिंह	शकुंतला कंवर उर्फ सुखीकुंवर पुत्री सरदारसिंह

3  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 15-04-2025

कमांक/कोर्ट/2025/312-314

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का नाना को पालनार्थ।
3. प्रार्थीया शकुंतला कंवर पुत्री स्व. सरदारसिंह पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल निवासी बडेर मार्ग वार्ड संख्या 04 राणावास तहसील मारवाड जंक्शन को सूचनार्थ।



3  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली